कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल,
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2 गवर्नमेंट प्लेस (पश्चिम), कोलकाता-700001

कार्यालय आदेश

सं. Admn.CC/3-54/Misc./RPD/20 दिनांक: 10.08.2026

विषय: दिव्यांगजन अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत शिकायत निवारण अधिकारी (जी.आर.ओ.) की नियुक्ति।

मुख्यालय कार्यालय के पत्र संख्या 147-Staff Estt.(Rule)/A.R./09-2026 दिनांक 09.07.2026 के अनुसरण में, और दिव्यांगजन अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) नियम, 2017 के नियम 23(1) के प्रावधानों के अनुसार, जो दिव्यांगजन अधिकार (आर.पी.डब्ल्यू.डी.) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत बनाए गए हैं, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ने दिनांक 30.07.2026 के आदेश द्वारा इस कार्यालय के लिए श्री कल्लोल घोष, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन गोपनीय प्रकोष्ठ) को सहर्ष **शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ)** नियुक्त किया है। शिकायत निवारण अधिकारी (जी.आर.ओ.) निम्नलिखित कार्य करेंगे:

1. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन न होने के संबंध में अधिकारियों/ कर्मचारियों से शिकायतें प्राप्त करना और उनकी जांच करना।
2. ऐसी शिकायतों की जांच करना और उचित सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित स्थापना/प्रशासनिक प्राधिकारी के साथ मामला उठाना।
3. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से शिकायतों का रजिस्टर अनुरक्षित करना और सुनिश्चित करना कि प्रत्येक शिकायत का पंजीकरण की तारीख से **दो सप्ताह** के भीतर विधिवत जांच की जाए।

इस कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त व्यवस्था का संज्ञान लें। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 20 के प्रावधानों के अनुपालन न होने से संबंधित कोई भी शिकायत उचित निवारण के लिए शिकायत निवारण अधिकारी के पास पंजीकृत की जा सकती है। जी.आर.ओ. का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है।

शिकायत निवारण अधिकारी (जी.आर.ओ.) का नाम	ईमेल	मोबाइल
श्री कल्लोल घोष, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	ghoshk.wbl.sca@cag.gov.in	9830515459

इसके अतिरिक्त, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 सभी संबंधितों के लिए परिचालित किया जा रहा है।

हस्ता/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

//प्राधिकार: दिनांक: 06.08.2026 को प्रधान महालेखाकार के आदेश
फाइल सं. Admn.CC/3-54/Misc/RPD में रखा गया//

प्रतिलिपि:
1) सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल
2) उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी-I), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल।
3) वरिष्ठ उप महालेखाकार (एएमजी-II एवं एएमजी-III/नॉन-एलएडी), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल।
4) उप महालेखाकार (एएमजी-IV), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), पश्चिम बंगाल।
5) सचिवालय, उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी-I)/वरिष्ठ उप महालेखाकार (एएमजी-II)/ उप महालेखाकार (एएमजी-IV)
6) वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन.1/प्रशासन.2/प्रशासन.3/प्रशासन.4/एएमजी-I/II/III/नॉन एलएडी/ IV/ एफएडब्ल्यू / ईसीपीए/ आईटीए/ डीएएस/ हिंदी प्रकोष्ठ/ईडीपी/रिपोर्ट)
7) सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन.1/प्रशासन.2/प्रशासन.3/प्रशासन.4/एएमजी-I/II/III/नॉन एलएडी/ IV/ ईसीपीए/ आईटीए/ एफएडब्ल्यू/डीएएस/ईडीपी/रिपोर्ट)
8) राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, पश्चिम बंगाल सरकार, सुभान्ना, 7वीं मंजिल, सॉल्ट लेक, कोलकाता-700064

हस्ता/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (गोपनीय कक्ष)